

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2025 को आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2025 को सायं 04:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। समीक्षा बैठक में सम्बन्धित विभागों को निम्न निर्देश दिये गये—

जल जीवन मिशन

- इण्डियन ह्यूम पाइप एजेन्सी के 94 डी0पी0आर0 में से 23 परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण हो गया है। निर्देश दिये गये कि जिला पंचायत राज अधिकारी सर्विफाइड 23 परियोजनाओं की सूची प्राप्त कर लें तथा इनमें कमियों का फीडबैक लेना सुनिश्चित करें।
- इण्डियन ह्यूम पाइप एजेन्सी के 02 स्थानों उमराई व मधयीपुर, विकास खण्ड सैफई में बोरिंग का कार्य अवशेष है। इस हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को निर्देश दिये गये कि इस हेतु जल निगम को भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ओम इन्फ्रा एजेन्सी को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक सप्ताह शनिवार को सायं 06:00 बजे बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश दिये गये कि वह परियोजना के सभी कम्पोनेन्ट पर समानान्तर कार्य करना सुनिश्चित करें।
- ओम इन्फ्रा एजेन्सी को 04 जगहों पर खारा पानी मिलने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस हेतु अन्य भूमि का चयन कर अगले सप्ताह हुई प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- यह भी निर्देश दिये गये कि 04 जगहों पर भूमि उपलब्ध न होने पर निर्देश दिये गये कि इस हेतु सम्बन्धित तहसील से सम्पर्क स्थापित कर भूमि चयन कराना सुनिश्चित करें।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण को निर्देश दिये गये कि अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 के साथ दिनांक 23.05.2025 को बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

Digitally signed by

Ramesh Chandra

Date: 27-05-2025

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,

इटावा।

॥ कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा ॥

पत्रांक 108 / डीएसटीओ / विकास प्राथमिकता कार्यक्रम / बैठक कार्यवृत्त / 2024-25 दिनांक: 27-05-2025
प्रतिलिपि—

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,
इटावा।